

बिहार सरकार
उद्योग विभाग
हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय

पत्रांक—

पटना, दिनांक—

संघिका संख्या— ह०रे०/स्था० (सेवान्त लाभ)— ०१/१५

प्रेषक,

अपर उद्योग निदेशक(तक०),
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना।

विषय—

पेंशन एवं अन्य सेवांत लाभों की स्वीकृति हेतु प्रचलित प्रपत्रों के सरलीकरण से संबंधित
वित्त विभाग का पत्रांक 1352/वि० दिनांक 01.12.15 का प्रेषण।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभागीय पत्र संख्या 1352 दिनांक 01.12.15 द्वारा संशोधित/सरलीकृत पेंशन प्रपत्रों की प्रति (पेंशन प्रपत्र, फोटोग्राफ प्रपत्र, घोषणा पत्र, पेंशन/परिवार पेंशन, पेंशन/उपादान की गणना तालिका/पेंशन/परिवार, पेंशन/उपादान/मृत्यु सह सेवा निवृत्ति उपादान, पेंशन रुपान्तरण की स्वीकृति का कार्य तथा महालेखाकार का प्रमाण पत्र एवं रिपोर्ट निर्गत की गई है।

अतः उक्त वित्त विभागीय पत्र के आलोक में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों से संशोधित सरलीकृत पेंशन प्रपत्र का प्रयोग सुनिश्चित की जाय।

अनुलग्नक—

- 1— पेंशन प्रपत्र (3 पन्ने)
- 2— घोषणा पत्र (2 पन्ने)
- 3— पेंशन रुपांतरण की स्वीकृत्यादेश का आवेदन (1 पन्ना)
- 4— पेंशन गणना तालिका (1 पन्ना)
- 5— महालेखाकार का प्रमाण पत्र (1 पन्ना)

विश्वासभाजन,

ह०/—

अपर उद्योग निदेशक(तक०)
बिहार, पटना।


ज्ञापांक :-


189

पटना, दिनांक :-

28/1/16

प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।


28-01-16
अपर उद्योग निदेशक(तक०)
बिहार, पटना।


28/1

पेंशन/परिवार पेंशन/ उपादान/ मृत्यु-सह-सेवा निवृत्ति उपादान/पेंशन रूपांतरण हेतु आवेदन पत्र

1. (i) सरकारी सेवक का नाम (हिन्दी में)
(ii) Name of Govt. Servant in English (in capital letters) -
2. (i) पिता/पति का नाम -
(ii) Father's/Husband's Name (in capital letters) -
3. (i) स्थायी पता-
ग्राम/मोहल्ला
थाना
(ii) Permanent Address(in capital letters) -
Vill/Moh.- Post- P.S.-
Distt.- State- Pin No.- Mobile No.
4. (i) पत्राचार का पता(हिन्दी में)-
ग्राम/मोहल्ला-
थाना-
पिनकोड-
डाकघर-
जिला-
राज्य
Mobile No.-
- (ii) Address for correspondence in English (in capital letters) :
Vill/Moh.- Post- P.S.- Distt.-
State- Pin No.- Mobile No.-
5. (i) अंतिम पदस्थापन की स्थिति : पदनाम (हिन्दी में)-
कार्यालय/विभाग का नाम (हिन्दी में)-
(ii) Status of last posting: Designation (in English)-
Name of Office/department (in English)-
6. सेवा आरम्भ की तिथि-
7. (i) सेवा समाप्ति की तिथि-
(ii) मृत्यु की तिथि (अगर सेवानिवृत्ति की तिथि के उपरान्त हुई हो):
8. कुल सेवा अवधि- वर्ष माह दिन
व्यवधान की अवधि-
9. अंतिम वेतन-
10. औसत वेतन-

- 75
11. (i) पेंशन प्रारम्भ होने की तिथि-
- (ii) औपबंधिक पेंशन का भुगतान किया गया है या नहीं, यदि हाँ तो
- (a) औपबंधिक पेंशन की दर.....
- (b) भुगतान की अवधि (दिनांक..... से दिनांक..... तक)
- (iii) भुगतान की गई औपबंधिक उपदान की कुल राशि रू0.....
12. कोषागार का नाम-
- (जहाँ से भुगतान प्राप्त करना चाहते हैं)
13. परिवार पेंशन की दशा में आवेदक का नाम एवं पूरा पता-
14. मृत सरकारी सेवक के साथ सम्बन्ध-
15. आवेदक की जन्म तिथि-
16. ऊँचाई-
17. पहचान चिन्ह-
18. यदि पेंशन रूपांतरण कराना चाहते हैं तो कितना प्रांतिशत-
19. सरकारी सेवक का मोबाईल नं0.-
20. सरकारी सेवक का यूनिक आई.डी.
- (क) जी.पी.एफ नं0. :
- (ख) पैन नं0. :
- (ग) आधार नं0. :
- (घ) ई-मेल :
21. परिवार के सदस्यों का विवरण-

क्रमांक	नाम	Name	सरकारी सेवक से सम्बन्ध	जन्म तिथि	वैवाहिक स्थिति	विकलांगता की स्थिति (सिविल सर्जन की अध्यक्षता में गठित बोर्ड के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर)
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						

- नोट :- (i) जन्म तिथि की प्रविष्टि कार्यालय प्रधान द्वारा प्रामाणिक साक्ष्य के आधार पर की जाएगी ।
- (ii) सरकारी सेवक द्वारा प्रामाणिक साक्ष्य नहीं होने का शपथ पत्र दिया जाता है, उस स्थिति में वित्त विभागीय परिपत्र सं0-549 दिनांक 29.4.15 में अंकित प्रावधानों के आलोक में जन्म तिथि अंकित की जाएगी ।
- (iii) सिविल सर्जन की अध्यक्षता में गठित बोर्ड द्वारा विकलांग पारिवारिक सदस्य जीवकोपार्जन में सक्षम नहीं, का प्रमाण पत्र दिये जाने की स्थिति में ही पेंशन स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार द्वारा आजीवन पारिवारिक पेंशन अनुमान्य किया जाएगा ।

कार्यालय प्रधान का हस्ताक्षर एवं मुहर

फोटोग्राफ

नोट :- (i) सेवा निवृत्त सरकारी सेवक की दशा में संयुक्त फोटोग्राफ ।
(ii) मृत सरकारी सेवक की दशा में उत्तराधिकारी का फोटोग्राफ ।

परिवार के सदस्यों का विवरण-

क्रमांक	नाम Name	सरकारी सेवक से सम्बन्ध	जन्म तिथि	वैवाहिक स्थिति	विकलांगता की स्थिति (सिविल सर्जन की अध्यक्षता में गठित बोर्ड के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					

आवेदक का हस्ताक्षर

सरकारी सेवक (मृत सरकारी सेवक के उत्तराधिकारी) के हस्ताक्षर के तीन नमूने

1.

2.

3.

हस्ताक्षर अभिप्रमाणित

(अभिप्रमाणित करने वाले राजपत्रित पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम तथा मुहर)

चूँकि.....

(अग्रिम की स्वीकृति देने वाले सरकारी सेवक का पदनाम) ने पेंशन की राशि सरकार द्वारा नियत करने हेतु आवश्यक जाँच पूरी होने की प्रत्याशा में मुझे औपबंधिक रूप से प्रतिमाह.....

रु0 अंक में (.....

....) की राशि की स्वीकृति दी है। मैं एतद् द्वारा अभिस्वीकार करता हूँ कि इस अग्रिम को स्वीकार करते हुए मैं यह अच्छी तरह समझता हूँ कि मेरी पेंशन आवश्यक औपबंधिक जाँच पूरी होने पर पुनरीक्षित हो सकती है तथा प्रतिज्ञा करता हूँ कि ऐसे पुनरीक्षण पर मैं इस आधार पर कोई आपत्ति नहीं करूँगा कि मुझे अभी दी जाने वाली औपबंधिक पेंशन उस राशि से अधिक है, जिसका हकदार मैं अन्ततः पाया जाऊँ उससे अधिक राशि लौटा दूँगा।

2. मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि अपने सेवा के किसी भाग के संबंध में जो इस आवेदन-पत्र में सम्मिलित है तथा जिसके संबंध में पेंशन और उपादान का दावा इसमें किया गया है, मैंने किसी पेंशन या उपदान के लिए न तो आवेदन दिया हूँ और न इसे प्राप्त किया है तथा इस आवेदन-पत्र और इस पर दिए गए आदेश का हवाला दिए बिना आवेदन नहीं करूँगा।

3. यदि वेतन एवं भत्ते के अधिक भुगतान के कारण कोई बकाया हो अथवा वेतन दोष संबंधी यात्रा-भत्ता या स्थानान्तरण हेतु यात्रा से संबंधित अग्रिम का बकाया हो अथवा मोटरकार या सार्इकिल, गृह निर्माण अग्रिम अथवा आवास किराया संबंधी या कोई अन्य बकाया हो जिसकी वसूली मुझसे करनी हो, उसका भुगतान करने के लिए मैं बाध्य होऊँगा।

सेवा-निवृत्त सरकारी सेवक/
मृत सरकारी सेवक के लाभार्थी
का हस्ताक्षर एवं पदनाम एवं विभाग/कार्यालय

पेंशन/परिवार पेंशन/उपादान/मृत्यु-सह-सेवा निवृत्ति उपादान/पेंशन रूपांतरण की स्वीकृति ।

यह समाधान हो जाने के बाद कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....पदनाम.....की सेवा संतोषजनक रही है, निम्नांकित व्यक्ति को निम्नरूपेण पेंशन परिवार पेंशन/उपादान/मृत्यु-सह-सेवा निवृत्ति उपादान/पेंशन रूपांतरण की स्वीकृति दी जाती है:-

व्यक्ति का नाम	पता	सरकारी सेवक से सम्बन्ध	राशि	
			पेंशन	
			पारिवारिक पेंशन	
			1.साधारण दर पर	
			2.वर्धित दर पर	
			उपादान/मृत्यु सह-निवृत्ति उपादान	
			पेंशन की रूपांतरित राशि	

1. पेंशन/परिवार पेंशन आरम्भ होने की तिथि :-
2. पेंशन की राशि :-
3. परिवार पेंशन की राशि :-

(क) वर्द्धित दर-	रूपये	दिनांक	तक
(ख) साधारण दर-	रूपये	दिनांक	से
4. मृत्यु सह-सेवा निवृत्ति उपादान की राशि :-
5. पेंशन रूपांतरण की राशि :-

रूपये.....(शब्दों में).....का रूपांतरित मूल्य रूपये (शब्दों में).....
6. पेंशन/ उपादान/ रूपांतरण की राशि का भुगतान.....कोषागार से किया जायेगा ।
7. पेंशन/उपादान की राशि का भुगतान बजट शीर्ष-2071 पेंशन एवं अन्य सेवा निवृत्ति लाभ के अन्तर्गत विकल्पनीय होगा ।
8. यह स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि यदि पेंशन उपादान की राशि (जैसा महालेखाकार द्वारा प्राधिकृत किया गया हो) भविष्य में उस राशि से अधिक पायी जाय जिसका नियम के अधीन पेंशन भोगी हकदार हो तो पेंशनधारी अधिक भुगतान की राशि लौटाने को बाध्य होगा । सम्बन्धित पेंशनभोगी से इस आशय की घोषणा-पत्र संलग्न है ।

पेंशन स्वीकृति पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर ।

पेंशन/ परिवार पेंशन/ उपादान की गणना - तालिका

1. सेवा निवृत्त/ मृत सरकारी सेवक का नाम एवं पदनाम:-
2. सरकारी सेवक में नियुक्ति की तिथि :-
3. सेवा निवृत्ति/ मृत्यु की तिथि :-
4. सेवा की कुल अवधि:- वर्ष माह दिन
5. अन्तिम वेतन :-
6. औसत वेतन :-
7. अनुमान्य पेंशन :-

(i) अंतिम दस महीने की औसत परिलब्धि/अंतिम परिलब्धि(जो लाभकारी हो) x वास्तविक सेवा अवधि (अधिकतम बीस वर्ष)
2x20

(ii) वैसे सरकारी सेवक जो 23.9.2009 के पूर्व सेवानिवृत्त हुए हो :-
औसत परिलब्धि x वास्तविक सेवा अवधि (अधिकतम 33 वर्ष)
2x33

8. परिवार पेंशन :-
साधारण दर (अंतिम वेतन का 30%)
वर्द्धित दर
- I. अंतिम वेतन ÷ 2
 - II साधारण दर पर परिवार पेंशन x 2
 - III पेंशन की राशि
(तीनों में जो कम हो)

9. उपादान की राशि:-

(अंतिम वेतन+महंगाई भत्ता) x छहमाही सेवा की अवधि
4

10. मृत्यु उपादान :-
- (क) एक वर्ष से कम की सेवा - परिलब्धि का दो गुणा
 - (ख) एक वर्ष से अधिक तथा पाँच से कम - परिलब्धि का छः गुणा
 - (ग) पाँच वर्ष से अधिक तथा बीस वर्ष से कम परिलब्धि का बारह गुणा
 - (घ) बीस वर्ष से अधिक -
(अंतिम वेतन+महंगाई भत्ता) x छहमाही सेवा की अवधि
2

नोट:- (1) उपादान/ मृत्यु उपादान की अधिकतम राशि रुपये 10.00 लाख से अधिक नहीं होगी ।
(2) दिनांक 1.04.2007 से पूर्व के मृत्यु/सेवानिवृत्ति उपादान के अनिष्पादित मामलों में उपादान 3.5 लाख रुपये की अधिसीमा तक ही अनुमान्य होगा ।

पेंशन स्वीकृति पदाधिकारी का
हस्ताक्षर एवं मुहर ।

महालेखाकार का प्रमाण-पत्र और रिपोर्ट

प्रमाणित किया जाता है कि (नीचे दी गई अभ्युक्तियों के अध्याधीन) श्री.....की अर्हक सेवा.....वर्ष.....महीना.....दिन सम्यक रूप से प्रमाणित कोटि में है तथा बिहार पेंशन नियमावली.....और बिहार सरकार के वित्त विभाग के ज्ञाप संख्या-5285वि0 दिनांक 26.04.51 की कंडिका-2(ग) तथा बिहार सरकार वित्त विभाग के संकल्प संख्या-वि0वी0पी0ए0आर0-12/50, 12548वि0, दिनांक 23 अगस्त, 1950 के अधीन अधिक से अधिक.....रु0 प्रतिमाह तथा.....(अंक में).....रु0 (एक मुश्त) पेंशन/ सेवा उपदान/ परिवार पेंशन और मृत्यु-सह-सेवा निवृत्ति उपदान के रूप में अनुमान्य है। गणना का सत्यापन सम्यक रूप में अनुमान्य है। गणना का सत्यापन सम्यक् रूप से किया गया है। पेंशन या उपादान.....पर आदेय है और पेंशन दिनांक.....से आरम्भ होगी।

बिहार पेंशन नियमावली के नियम-139 और 202(i) की ओर ध्यानाकृष्ट किया जाता है। चूंकि आवेदन सेवा निवृत्ति की तिथि के बाद किया गया है, इसलिए पेंशन आवेदन की तिथि से.....या सेवा निवृत्ति की तिथि.....से आरम्भ होगी, जैसा कि मंजूरी प्राधिकारी बिहार पेंशन नियमावली 209 के अधीन निर्देश दें।

(यदि आवश्यक न हो तो इस कंडिका को काट दें)

महालेखाकार, बिहार,
पटना।

जो पदाधिकारी बिहार पेंशन नियमावली के नियम-147 के द्वारा प्राधिकृत अतिरिक्त पेंशन के पात्र हैं, उनके मामले में प्रमाण-पत्र के सामान्य फारम में निम्नलिखित बातें जोड़ दें।

उन्होंने तीन वर्ष/.....वर्षों तक.....के रूप में सेवा की है और वे 1000/-रु0 1500/-रु0.....के विशेष अतिरिक्त पेंशन के पात्र हैं उनकी सेवा ऐसी रही है कि उनके मामले में रियायत की जा सकती है।

नोट:- यदि पेंशन प्रदायी सेवा अधिकतम पेंशन के लिए पर्याप्त हो तो प्रमाण-पत्र पर.....वर्षों से अधिक के लिए सम्यक् रूप से प्रमाणित लिख दें (उतना ही वर्ष अंकित करें जितना अधिकतम पेंशन पाने के लिए अपेक्षित है।